न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–130 / 2020 (2020 / 00673) दर्ज दिनांक 14.12.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. गोपीलाल आत्मज बिहारीलाल ब्राह्मण
2. बालकिशन आत्मज शंकरलाल ब्राह्मण
3. शांतिलाल आत्मज मगनीराम ब्राह्मण
4. शिवनारायण आत्मज मगनीराम ब्राह्मण

सर्व निवासी मैलुणीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता पुत्री मोहन ब्राह्मण
2. जगदीश आत्मज मोहन ब्राह्मण
3. जगदीश आत्मज रूपा ब्राह्मण
4. तारा पुत्री सोहनलाल ब्राह्मण
5. देवीलाल आत्मज मोहन ब्राह्मण
6. नंदलाल आत्मज मोहन ब्राह्मण
7. नारायण आत्मज मोहन ब्राह्मण
8. नारायण आत्मज डालु ब्राह्मण
9. भगवती पत्नि डालु ब्राह्मण
10. भेरूलाल आत्मज मोहन ब्राह्मण
11. मांगीलाल आत्मज लक्ष्मण ब्राह्मण
12. रतन आत्मज डालु ब्राह्मण
13. शांति पुत्री हीरा ब्राह्मण
14. अम्बालाल आत्मज नानालाल ब्राह्मण
15. घीसुलाल आत्मज दोला ब्राह्मण
16. चांदी पुत्री दोला बैरवा
17. देबीचन्द आत्मज बरदा बैरवा
18. नानुराम आत्मज दोला बैरवा
19. नानालाल आत्मज गोविन्दराम बैरवा
20. नोजी पत्नि नाथु बैरवा
21. भैरू आत्मज बरदा बैरवा
22. हेमी पत्नि बरदा बैरवा
23. मोहनी पुत्री दोला बैरवा
24. रंगलाल आत्मज दोला बैरवा
25. रघुनाथ आत्मज बरदा बैरवा
26. लोभचन्द आत्मज दोला बैरवा
27. लेहरी पत्नि दोला बैरवा
28. हरलाल आत्मज बरदा बैरवा
29. हांसु आत्मज गोमा बैरवा

सर्व निवासी मैलुणीखेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मनीष दाधीच

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

प्रकरण संख्या :–130/2020 (2020/00673)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय — दिनांक:–26.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम मैलुणी खेड़ा पटवार हल्का मैलुणाी खेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 929 रकबा 0.96 हे0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 636 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 29 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मैलुणी खेड़ा पटवार हल्का मैलुणाी खेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 929 रकबा 0.96 हे0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.96 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 636 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को [illegible] जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 15:11:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)